



पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय Central University of Punjab

संसद के अधिनियम संरूप . द्वारा स्थापित (२००९) / (Established vide an Act 25(2009) of Parliament)

बैठक शाखा - MEETINGS BRANCH

सन्दर्भ संख्या: सीयूपीबी/एमबी/बीओएस/2025/110

दिनांक: २२/८/२०२५

अधिसूचना

विषय: हिंदी विभाग के अध्ययन बोर्ड (बीओएस) का आंशिक संशोधन।

सन्दर्भ:

1. CUPB/MB/Bos/2025/86 दिनांक 22/05/2025:- हिंदी विभाग के बीओएस के गठन संबंधी अधिसूचना।
2. CUPB/Estt./Promotion/2025/Order/290 दिनांक 29/07/2025:- डॉ. मधुलिका बेन पटेल के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में अधिसूचना।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के परिणामस्वरूप, अध्यादेश-XI (अधिनियम धारा 23, कानून 16) के संबंध में आंशिक संशोधन 14/8/2025 से अधिसूचित किया जाता है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रमांक संख्या	सदस्य का नाम	पदनाम /विभाग	टिप्पणियाँ
1.	डॉ. मधुलिका बेन पटेल	एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग	खंड XI.1.3 के तहत समावेशन

निवेदन / *Sakson*
सहायक कुलसचिव (बैठक शाखा)
मदल *रोहन*

प्रतिप्रेषित:

1. सहायक कुलसचिव, कुलपति कार्यालय: माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. सम-कुलपति कार्यालय: सूचनार्थ हेतु।
3. कुलसचिव के निजी सहायक: कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ हेतु।
4. डीन प्रभारी अकादमिक: सूचनार्थ हेतु।
5. सभी संबंधित: सूचनार्थ हेतु।
6. कम्प्यूटर सेंटर: विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
7. संबंधित फ़ाइल।

निवेदन / *Sakson*
सहायक कुलसचिव (बैठक शाखा)
मदल *रोहन*